न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 07/2023	रजू दिनांक 22.03.2023	निर्णय दिनांक 19.04.2023

उनवान

1. जवाहरलाल सोनी पुत्र शेरसिंह सोनी जाति सुनार निवासी ढुढाडिया तह0 बहरोड।
2. दारासिंह पुत्र सुगनचन्द सोनी जाति सुनार निवासी मसीत तह0 रेवाडी हरियाणा।

प्रथम पक्ष।

व

1. कांती प्रसाद पुत्र रोशनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सिरयानी तह0 नीमराना।
2. जयशंकर पुत्र मूलचन्द उर्फ भीमसेन जाति ब्राहम्ण निवासी सिरयानी तह0 नीमराना।
3. मनोज पुत्र मूलचन्द उर्फ भीमसेन जाति ब्राहम्ण निवासी सिरयानी तह0 नीमराना।
4. उर्मिला पत्नी मूलचन्द उर्फ भीमसेन जाति ब्राहम्ण निवासी सिरयानी तह0 नीमराना।
5. कमलेश शर्मा पुत्र मूलचन्द उर्फ भीमसेन जाति ब्राहम्ण निवासी सिरयानी तह0 नीमराना।

द्वितीय पक्ष।

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 49 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थितिः

1. श्री जितेन्द्र सामरिया एड0 प्रथम पक्ष की ओर से।
2. श्री उदयसिंह यादव एड0 द्वितीय पक्ष की ओर से जवाब दावा।
3. अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रा0पत्र।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। प्रा0पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. प्रार्थीगण प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 हाल 567/0.18,564/0.14 वाके ग्राम सिरयानी तह. नीमराना मे स्थित है। ख.नं. 567/0.18 मे 1/4 भाग प्रथम पक्ष जवारहलाल सोनी व 1/4 भाग प्रथम पक्ष दारासिंह यानि प्रथम पक्ष का कुल 1/2 भाग खातेदारी का है।जो प्रथम पक्ष के 1/2 भाग मे 09 एयर रकबा है तथा हाल ख.नं. 564/0.14 एयर द्वितीय पक्ष कांती प्रसाद 1/4 भाग का व द्वितीय पक्ष सं. 02 लगा. 05 प्रत्येक 1/16,1/16 भाग के यानि कुल 1/4 भाग यानि द्वितीय पक्षकार का कुल 1/2 भाग मे 07 एयर रकबा है।

2. प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने आपस मे सहमति से काश्त की सहुलियत से तबादला किया हुआ है। जो ख.नं. 567/0.18 मे 1/2 भाग यानि 09 एयर प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को दिया हुआ है तथा द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को ख.नं. 564/0.14 मे कुल 1/2 भाग यानि 07 एयर रकबा दिया हुआ है जिससे ख.नं. 564/0.14 एयर मे 1/2 भाग पर प्रथम पक्षकार काबिज है तथा ख.नं. 567/0.18 मे 1/2 भाग पर द्वितीय पक्ष काबिज है। तथा तबादला के अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त है। दोनों ख.नं. की एक ही किस्म है,हम पक्षकारान ने दिनांक 15.03.2023 को तबादला के मुताबिक रिकॅर्ड मे अंकन करवाने के लिए तहसीलदार साहब नीमरान के पास गए तो उन्होने बताया की समक्ष न्यायालय मे कानूनी कार्यवाही के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन हो सकता है। इसलिए पक्षकारान को यह प्रा0पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

3. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष का प्रा0पत्र धारा 49 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार की जाकर मुताबिक तबादला के आराजी ख.नं. हाल 564/0.14 व 567/0.

18 वाके ग्राम सिरयानी मे ख.नं. हाल 567/0.18 के 1/2 भाग से प्रथम पक्ष का नाम कलमजन किया जाकर द्वितीय पक्ष सं. 01 को 1/4 भाग व द्वितीय पक्ष सं. 02 लगा. 05 प्रत्येक 1/16,1/16 भाग का व ख.नं. 564/0.14 के कुल 1/2 भाग से द्वितीय पक्षकार का नाम कलमजन किया जाकर प्रथम पक्ष सं. 01 को 1/4 भाग व सं. 02 को 1/4 भाग का खातेदार अंकित किया जावे तथा तबादला दोनों पक्षों ने कब्जा काश्त की सहुलियत से किया हुआ है तबादला के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन कराया जावे।

4. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि तबादला मे राजहित निहित न हो तो तबादला दोनों पक्षो की सहमति से किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

5. जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात पक्षकरान के अभिभाषकगण को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया व पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार हाल ख.नं. 564/0.14 मे द्वितीय पक्ष का 1/2 भाग खातेदारी का है तथा 567/0.18 मे 1/2 भाग प्रथम पक्ष की खातेदारी मे दर्ज है।दोनों की पक्षों ने उक्त आराजी का काश्त की सहुलियत से तबादला किया जाना स्वीकार किया है तथा पैरोकार सरकार अप्रार्थी ने भी प्रा0पत्र को स्वीकार किये जाने की सहमति व्यक्त की है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक तबादला राजस्व रिकार्ड मे अन्तदरानद किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

6. अतःआदेश है कि:–

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 49 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर मुताबिक तबादला के आराजी ख.नं. हाल 564/0.14 व 567/0.18 वाके ग्राम सिरयानी मे ख.नं. हाल 567/0.18 के 1/2 भाग से प्रथम पक्ष का नाम कलमजन किया जाकर द्वितीय पक्ष सं. 01 को 1/4 भाग व द्वितीय पक्ष सं. 02 लगा. 05 प्रत्येक 1/16,1/16 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज किए जाने व ख.नं. 564/0.14 के कुल 1/2 भाग से द्वितीय पक्षकार का नाम कलमजन किया जाकर प्रथम पक्ष सं. 01 को 1/4 भाग व सं. 02 को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है।तदानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार नीमराना को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19/4/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)